जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन : अधिनियम 2019

पिंकी*

सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, गुरु द्रोणाचार्य गर्ल्स कॉलेज,
मंडी आदमपुर हिसार, हरियाणा, भारत

***Email ID**: pinkughoglia123@gmail.com*

Accepted: 10.12.2022 **Published**: 01.01.2023

मुख्य शब्दः जम्मू–कश्मीर, पुनर्गठन, संशोधन, अधिनियम।

शोध आलेख सार

जम्मू कश्मीर भारत के सबसे उत्तर में स्थित राज्य है। इसके उतरी क्षेत्र (पाक अधिकृत कश्मीर) पर पाकिस्तान व अक्साई चीन पर चीन कब्जा किए हुए है। भारत ने इन क्षेत्रो पर अवैध अधिकार माना है। जबकि पाकिस्तान, भारतीय जम्मू–कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानता है। प्राचीन काल में कश्मीर (महर्षि कश्यप के नाम पर) हिन्दू और बौद्व संस्कृतियों का पालन कर रहा हैं। वर्ष 1947 में कश्मीर का विलय भारत में हुआ। आजादी के समय कश्मीर में पाकिस्तान ने घुसपैठ करके कश्मीर के कुछ हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्रो में ले लिया था। भारत ने यह मामला 1 जनवरी 1948 को ही राष्ट्र संघ में पेश किया था। परन्तु अभी तक कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ है।भारत की स्वतंत्र के समय महाराजा हरिसिंह यहाँ के शासक थे। वह अपनी रियासत को स्वतंत्रता राज्य रखना चाहते थे। शेख अब्दुला के नेतृत्व में मुस्लिम कान्फ्रेस, कश्मीर की मुख्य राजनैतिक पार्टी थी। कश्मीरी पंडित शेख अब्दुल्ला और राज्य के ज्यादातर मुसलमान कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे। भारत आजादी के समय से ही एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। उस समय पर प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्नाह से विवाद जनमत संग्रह से सुलाझाने की पेश की।जिन्नाह ने उस समय इस प्रस्ताव को इंकार कर दिया, क्योकि उनको अपनी सैन्य कारवाई पर पुरा विश्वास था।महाराजा हरिसिंह ने शेख अब्दुल्ला की सहमति से भारत में कुछ शर्तो के तहत विलय कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। समय के साथ–साथ भारत की राजनीतिक परिस्थितियों बदलती गई। संविधान के अनुसार यह समस्त भारत एक राष्ट्र है। फिर जम्मू कश्मीर एक अलग अगं नही है। इसलिए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 370 तथा धारा 35–ए को समाप्त कर दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सपने को साकार आधार प्रदान किया गया है। यह मोदी सरकार का एक साहसिक कदम माना गया है। अब समस्त भारत देश एक परिवार है और सभी राज्य का समान दर्जा होगा। संविधान के समस्त कानून सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगे।

पहचान निशान

*Corresponding Author
© IJRTS Takshila Foundation, पिंकी, All Rights Reserved.

परिचय

संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू–कश्मीर राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। जम्मू–कश्मीर का भारत में विलय करने के बाद सिर्फ तीन विषयों पर ही केन्द्र सरकार का नियंत्रण था। रक्षा, संचार और विदेशी मामले। जम्मू–कश्मीर राज्य का अपना अलग सविधान था। यह संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 238 के प्रावधान जम्मू–कश्मीर पर लागू नहीं होते है। संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निदेशक सिद्वान्त जम्मू–कश्मीर पर लागू नहीं होते है। संविधान के अनुच्छेद 365 का प्रयोग भी वहां की राज्य सरकार की सहमति से किया जाता है।

संविधान का अनुच्छेद 360, 356, दोनों ही लागू नहीं होते है। जम्मू–कश्मीर में अवशिष्ट शक्तियां राज्य विधान मण्डल के पास है न कि संघ सरकार के पास। राज्य के नाम, क्षेत्र में परिवर्तन राज्य की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। जम्मू–कश्मीर राज्य में किसी भी अन्तराष्ट्रीय संधि को राज्य विधान मण्डल की सहमति से राज्य में लागू नहीं किया जा सकता है। संसद इस राज्य के लिए निवारक निरोधक कानून का निर्माण नहीं कर सकती। इस राज्य के नगरिकों को नियाजन, संपति के स्थायी अधिकार प्रदान किए गए है। समवर्ती सूची के विषय में भी राज्य विधानमण्डल को शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू–कश्मीर के नागरिको को भी विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई है। जम्मू–कश्मीर राज्य में भारत के दूसरे राज्यों के लोग किसी भी प्रकार की संपति नहीं खरीद सकते है। जम्मू–कश्मीर में दोहरी नागरिकता है। एक जम्मू–कश्मीर की और दूसरी भारत की। कश्मीरी महिला यदि भारतीय पुरूष से शादी कर लेती है। तो उसकी कश्मीरी नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि वह किसी पाकिस्तानी पुरूष से शादी कर लेती है तो उसकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान का एक राज्य तो है, लेकिन इस राज्य के लोगो को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो उन्हें दूसरे राज्यों से अलग करते हैं।

जम्मू कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम : 2019

संसद के द्वारा पांच अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3–10 को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 70 के अनुसार संविधान के सभी प्रावधान जो समय–समय पर संशोधित होते रहे हैं। ये सभी

प्रावधान जम्मू–कश्मीर के लिए भी बिना किसी अपवाद के लागू होगें। संविधान के अनुच्छेद का प्रयोग हुआ तो इसके लिए जम्मू–कश्मीर के लिए शर्त हैं। जम्मू–कश्मीर में यदि किसी राज्य का पुर्नगठन कर रहे हैं तो उस राज्य की विधानसभा (संसद) से परामर्श अवश्य लेना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छे 4 के अन्तगर्त किए गये जम्मू–कश्मीर को दो भागों में बांटा गया है। एक लद्दाख और जम्मू–कश्मीर। लद्दाख के प्रावधान क्षेत्रों में विधान सभा नहीं होगी तथा लोकसभा की एक सीट निर्धारित की गई है। जम्मू–कश्मीर क्षेत्र में वे सभी प्रावधान लागू होगें जो पुडुचेरी केन्द्रशासित प्रदेश में लागू होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239 (ए) के अनुसार लोकसभा की एक सीट तथा राज्यसभा की चार सीटें होगीं। अब वर्तमान में जम्मू–कश्मीर में 90+24+2 = 114सीटे होगी। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण को भी लागू कर दिया गया हैं। तीनों प्रशासनिक सेवाएं भी लागू कर दी गई हैं, जैसे– आई०ए०एस०,आई०पी०एस० आई०एफ०एस० आदि। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस सेवा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार को भी लागू कर दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त अब जम्मू–कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल छः वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दिय गया हैं।

निष्कर्ष :–

जम्मू–कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि केन्द्र सरकार के द्वारा यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जम्मू–कश्मीर की धारा 35ए तथा अनुच्छे द 370 को समाप्त कर दिया गया है।

अब जम्मू–कश्मीर को एक कन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त लद्दाख को एक अलग प्रदेश बनाया गया हैं। केन्द्र सरकार के इस मजबूत निर्णय ने अखण्ड भारत के सपने को साकार किया हैं। अब सही मायने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समस्त भारत एक देश हैं।

कश्मीर की समस्याओं पर आज तक किसी भी केन्द्र सरकार ने यह साहसिक फैसला लेने की इच्छा शक्ति व्यक्त नहीं की थी। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जम्मू–कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम के बाद कश्मीर में निवेश बढ़ेगा। कश्मीर के युवा लोगों के पास रोजगार के व्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। इन सबके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा–पार आतंकवाद पर भी अंकुश लग जाएगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. हक्कानी हुसैन : 'भारतअे पाकिस्तान', के० एस० हाउस, 118 शाहपुर जहाँ, नई दिल्ली जगरनॉर बुक्स, 2017, पृष्ठ सं०–(45–73)
2. मिश्रा राजेश, "भारतीय विदेश नीति : भूमंडीकरण के दौरे में"। ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड (2018),पृष्ठ सं०– (364–67)
3. हिन्दुस्तान टाईम्स, 6 अगस्त, 2019, पृष्ठ सं० 1–3

4. अमर उजाला, 7 अगस्त 2019, पृष्ठ सं०, 2–4
5. प्रतियोगिता दर्पण (2019), पृष्ठ सं०–(114–118)
6- www. mea. gov. in.
7. जनसत्ता अखबार, 5 अगस्त 2019 पृष्ठ सं० (1–2)
8. अर्धवार्षिक समसामयिकी दिशा पब्लिकेशन (2019), पृष्ठ सं०–2
9. दैनिक जागरण, 6 अगस्त 2019, पृष्ठ सं० (4–6)
10. टाईम्स ऑफ इंडिया, अगस्त 2019, पृष्ठ सं० (3–5)